

शमचन्द्र vs बनाम कोट्टाकॉरु
 फर्द अहकाम

नाम न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी
 विराटनगर (जयपुर)

केस संख्या

30/8016

प्रतिनाम

सर्वप्रथम दिनांक आज्ञा या
 क्रम संख्या Copy - Not कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष दि

21-2-18 वकील उमयपथ उपस्थित पेशी में
 सन्तान पुत्र जगद्व व लक्ष्मी को
 भवत-पाठा पत्रावली वाते पेश
 होने जगद्व उमयपथ व लक्ष्मी
 शेष अप्रार्थित दिनांक 22-3-18 के
 पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
 विराटनगर (जयपुर)

22-3-18 वकील उमयपथ उपागत
 आदेश की पालना में दिनांक 25-4-18
 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
 विराटनगर (जयपुर)

25-4-18 वकील उपागत वाते पेश होने
 जगद्व व लक्ष्मी शेष अप्रार्थित
 दिनांक 18-6-18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
 विराटनगर (जयपुर)

08/06/18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत में
 पेश हुई। उपस्थित पत्रकाशन को
 मजमे सुना गया। पत्रावली, पत्रावली
 पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि
 के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन
 किया गया। इतरगत प्राथमिक पत्र
 के साथ प्रस्तुत मूल वाद का व्यापक

ऑन-लि
 वकील
 कोट्टाकॉरु


30/80/6

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण



निस्तारण होने पक्षों की पूर्ण साक्ष्य उपरान्त संभव होगा। मूल वाद में उभय पक्षों के मध्य ख.नं. 522/0.05, 523/0.05, 524/0.03, हैब्टे. तथा ख.नं. 532/0.02, 533/0.06 हैब्टे. की जातेदारी एवं कब्जे काब्रत को लेकर विवाद है। अतः वाद के न्यायपूर्ण निस्तारण तक यह न्यायोचित है कि आराजी मुतनागा के कब्जा एवं राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार बदलाव नही, यदि किसी कदम होगा है, तो पक्षकाशन के मध्य विवाद खटने एवं अनावश्यक मुकदमे काजी होने की संभावना होती है। अतः उभय पक्ष को तर्फेपला मूल वाद आस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम पुरावाला के ख.नं. 522/0.05, 523/0.05, 524/0.03, 532/0.02, 533/0.06 हैब्टेया की मौका स्थिति कायम रखे। राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार परिवर्तन न करे, न करावे। निषेध मजमे-आम सुनाया गया।


 पीठासीन अधिकारी
 राजस्व लोक अदालत
 न्याय आगके द्वार-2018
 उपखण्ड- विशद्वनगर (जयपुर)